442

सं०/43020/एमएसीपी/जे०सी०बी०/मुप्रअ/का–2 (बी)

रक्षा मंत्रालय

संयुक्त सचिव एवं मु०प्र०अ० कार्यालय

विशय : संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना के अन्तर्गत सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठनों में ऑफसेट मशीनमैन संवर्ग के कार्मिक को सतत् सेवा के 30 वर्ष पूर्ण कर लेने के उपरांत तृतीय वित्तीय उन्नयन।

संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना संबंधी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, के ज्ञापन सं० 35034/3/2008–स्था० (डी), दिनांक 19 मई 2009 तथा 27/28 सितम्बर 2016 में विहित नियमों एवं दिषा–निर्देशों के आलोक में सतत् सेवा के 30 वर्ष पूर्ण कर लेने के उपरांत, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठनों में ऑफसेट मशीनमैन संवर्ग के अधोलिखित कार्मिक को तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है:–

क्र० स०	नाम एवं जन्मतिथि	वर्तमान पद	वर्तमान कार्यालय	सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि	एमएसीपी हेतु सेवा गणना की तिथि	प्रदत्त वित्तीय उन्नयन	वित्तीय उन्नयन की तिथि	प्रदत्त वित्तीय उन्नयन का वेतन लेबल
1.	श्री अशोक कुमार (24/12/61)	ऑफसेट मशीनमैन	वा०से०मु०	18/11/82	25/03/88	तृतीय	25/03/18	लेवल–8 (छठे वेतन आयोग के अनुसार ग्रेड पें 4,800)

2. संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी को विशुद्धतः वैयक्तिक रूप से दिया जाएगा और उसकी वरिष्ठता स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं होगा। इसी प्रकार वरिष्ठ कर्मचारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं दिया जाएगा कि इस ग्रेड में कनिष्ठ कर्मचारी ने संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त कर लिया है।

3. संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन देते समय अपना वेतन नियत करवाने के संबंध में सरकारी कर्मचारी को मूल नियम 22(I)क(I) के अंतर्गत, सातवें वेतन आयोग के अनुसार अगले लेवल में वेतन निर्धारण करने का प्रावधान है।

4. यदि कर्मचारी को नियमित पदोन्नति प्रदान गई है परन्तु उसने वित्तीय उन्नयन का हकदार बनने से पहले मना कर दिया था तो कोई वित्तीय उन्नयन नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऐसे कर्मचारी को अवसरों की कमी के कारण गतिहीन नहीं किया गया है तथापि, यदि वित्तीय उन्नयन की अनुमति गतिहीनता के कारण नहीं दी गई है और तत्पश्चात् कर्मचारी ने पदोन्नति से मना कर दिया है तो यह वित्तीय उन्नयन को वापस लेने का आधार नहीं होगा। फिर भी, वह अगले वित्तीय उन्नयन पर विचार करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह पुनः पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए सहमत नहीं होता है और अगला वित्तीय उन्नयन इंकार के कारण विवर्जन की अवधि समाप्त होने तक भी स्थगित कर दिया जाएगा।

5. उपरोक्त वित्तीय उन्नयन संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों एवं दिशा–निर्देशों के अध्याधीन होंगें।

रवीन्द्र कुमार

(रवीन्द्र कुमार)
व०प्र०अ०/का–2 (बी)
28 मार्च 2018

वा०से०मु०/पी० सी० –।।

प्रतिलिपि :

निदेशक (मा०सं०) के निजी सहायक | उप मुप्रअ(का) के निजी सहायक | संबंधित कर्मचारी

मु०प्र०अ०/एपीएआर (का–2) सेल | सूचना पटल | स०से०मु०/अं०से०सं के कर्मचारी संघ | मुप्रअ वेबसाइट